न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 108/2023 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2023/324**
दायर दिनांक :– 25.05.2023 **निर्णय दिनांक :– 22.07.2025**

1. अर्जुनराम पुत्र तुलछाराम जाति विश्नोई निवासी सारणपुरा तहसील बाप जिला फलोदी

–प्रार्थी

बनाम

1. अशोक पुत्र अर्जुनराम जाति विश्नोई निवासी सारणपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
2. तुलछाराम पुत्र मुलाराम जाति विश्नोई निवासी सारणपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
3. दानाराम पुत्र अर्जुनराम जाति विश्नोई निवासी सारणपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
4. बनवारीलाल पुत्र अर्जुनराम जाति विश्नोई निवासी सारणपुरा तह. बाप जिला फलोदी

–अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :–1. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता प्रार्थी

2. श्री ओमप्रकाश गोदारा अधि. अप्रार्थी सं. 1

–:: निर्णय ::–

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इस आशय से पेश किया है प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक नियमित राजस्व वाद अन्तर्गत 53,188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया। उक्त वाद में वर्णित तथ्यों एवं दस्तावेजात से प्रार्थी का वाद प्रथम दृष्टया ही साबित है। उक्त वाद में प्रार्थी को सफलता मिलने की पूरी–पूरी उम्मीद है। प्रार्थी एंव अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 व अन्य सहखातेदारान की सामलाती खातेदारी अधिकारों की कब्जा काश्त की भूमि ग्राम सारणपुरा पटवार हल्का श्रीसुरपुरा तहसील बाप के खसरा नम्बर 314 रकबा 22.7271 हैक्टेयर भूमि स्थित है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 तथा अन्य सहखातेदारान ने उक्त भूमि का आपसी सहमति का मौके पर मौखिक बंटवाड़ा पूर्व मे संलग्न नजरी नक्शा अनुसार कर लिया है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 व श्रीकृष्ण गौशाला व सार्वजनिक निर्माण विभाग ने कब्जा व काश्त सड़क चिपते अपने–अपने हिस्से अनुसार आज दिन तक लगातार शांतिपूर्वक चला आ रहा है। उक्त वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी के हिस्से में मौके पर प्रार्थी की रहवासीय ढाणी, पानी का टांका व पशुओं के लिये बाड़े इत्यादि बना रखे है। उक्त भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड में सामलाती है। अप्रार्थी संख्या 1 अपनी कब्जा काश्त एवं अपने हिस्से की सड़क चिपती भूमि पर भरी गई नींव के स्थान वाली भूमि को छोड़ कर प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 2 के

22/7/25
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

कब्जा काश्त एवं प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा अधुनिक तरीके से तैयार की गई संलग्न नजरी नक्शा अनुसार भूमि से प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 2 को जबरन बेदखल करने पर तथा प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 2 की उक्त भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 सड़क विपती भूमि पर जबरन निर्माण करवाकर उक्त भूमि हड़पने पर उतारू है। अतः अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में तथा अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध इस आशय की जारी की जावे कि ग्राम सारणपुरा के खसरा नम्बर 314 रकबा 22.7271 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 2 के हिस्से की भूमि संलग्न नजरी नक्शा अनुसार चले आ रहे शांतिपूर्वक कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखल अंदाजी न तो अप्रार्थी संख्या 1 स्वयं करे और न ही किसी अन्य से करावें। जिसका यह प्रार्थना पत्र पेश है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी और प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 के अधिवक्ता को जवाब हेतु कई अवसर दिये जाने के बावजूद भी जवाब पेश नहीं करने पर जवाब बंद किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 की और से कोई उपस्थित नहीं आने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। पत्रावली बहस में रखी गयी।

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सुनी गयी। पत्रावली में सलंग्न प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी, नजरी नक्शा इत्यादि का अवलोकन किया गया। हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दुओ के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते है–

प्रथम दृष्टया मामला

प्रथम दृष्टया मामला से तात्पर्य है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन मात्र से यह विश्वाश करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया आराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त हो। इसका अर्थ यह नहीं है कि मामला पूर्णतया सिद्ध कर दिया जाये क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है।

ग्राम सारणपुरा पटवार हल्का श्रीसुरपुरा के खाता संख्या 24 सम्वत् 2075–78 की जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी और अप्रार्थीगण अभिलिखित सह खातेदार है। प्रार्थी और अप्रार्थीगण के मध्य न्यायालय हाजा में वाद अन्तर्गत 53,188,92 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 जैरकार है। संयुक्त काश्तकारी के चलते भूमि के प्रत्येक इंच पर प्रार्थी और अप्रार्थीगण का अधिकार है। प्रत्येक के पास कृषि भूमि का कौनसा विशिष्ट भू–भाग होगा, इसका निर्धारण वादपत्र के निस्तारण के पश्चात ही किया जा सकता है। प्रार्थना पत्र के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि पर विवाद की स्थिति है। अभिलिखित काश्तकार होने, वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,188,92 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 जैरकार होने के चलते प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

सहायक कलेक्टर
बारां (कलोदी)

सुविधा का संतुलन

सुविधा के संतुलन से तात्पर्य है कि यदि व्यादेश नही दिया जाता है तो अधिकतम असुविधा प्रार्थी को होगी या प्रतिपक्षी को।

प्रार्थना और जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी और अप्रार्थीगण अभिलिखित सहकाश्तकार है. चूंकि प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष मे साबित हुआ है। अतः न्यायालय के अभिमत में प्रार्थी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जाती है तो प्रार्थी को अधिकतम असुविधा हो सकती है।

अपूर्णीय क्षति

अपूर्णीय क्षति से तात्पर्य एक ऐसी 'तात्विक क्षति' से है जिसकी पूर्ति नुकसानी के रूप में नहीं की जा सकती।

चूंकि न्यायालय हाजा में प्रार्थी का दावा अन्तर्गत धारा 53,188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विचाराधीन है और प्रथम दृष्ट्या मामला और सुविधा का सन्तुलन दोनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित हुये है। अतः न्यायालय के हस्तक्षेप न करने के परिणामस्वरूप अनुतोष ईप्सित करने वाले प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति होगी।

अतः न्यायालय का अभिमत है कि प्रार्थी के पक्ष में तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णनीय क्षति साबित होने के कारण मूल वाद का निपटारा होने तक अस्थाई व्यादेश के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली भांति साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है। अस्थाई व्यादेश बहक प्रार्थी विरूद्व अप्रार्थीगण इस आशय का कन्फर्म किया जाता है कि ग्राम सारणपुरा पटवार हल्का श्रीसुरपुरा तहसील बाप के खसरा नम्बर 314 रकबा 22.7271 हैक्टेयर में अप्रार्थीगण प्रार्थी के हक व हिस्सा तक ता फैसला दावा दखलअंदाजी न करे व राजस्व अभिलेख एवं मौके की यथास्थिति बनायें रखें। पत्रावली इसी कदर निर्णय शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.07.2025 को लिखवाया जाकरे खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुभाष पिण्डेल आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)